हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	राजस्व वाद पत्र संख्या 103 / 2025 उनवान गोपी बनाम [illegible]
13/4/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपस्थित ... पत्रावली [illegible] को पेश वास्ते बहस पत्रावली ... हो उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़
24/5/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप. पीठासीन अधिकारी [illegible] पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते बहस दिनांक 12/5/25 को पेश हो।
12/5/25	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित। [illegible] द्वारा [illegible] वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली पर मनन किया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ... किया जाता है। पत्रावली में विस्तृत आदेश खारिज किया ... शामिल किया गया। पत्रावली अंतिम ... नियमानुसार कार्यवाही ... दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नीतू मीणा (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 108/2025 (2025/108)

1. गोपी पुत्र सूरजकरण जाति जाट आयु लगभग 60 साल निवासी ग्राम डीडवाड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
2. श्रवण पुत्र सूरजकरण जाति जाट आयु लगभग 57 साल निवासी ग्राम डीडवाड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
3. गोविंद पुत्र हरलाल जाति जाट आयु लगभग 40 साल निवासी ग्राम डीडवाडा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
4. भंवरलाल पुत्र हरलाल जाति जाट आयु लगभग 58 साल निवासी ग्राम डीडवाड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
5. मोहन पुत्र हरलाल जाति जाट आयु लगभग 45 साल निवासी ग्राम डीडवाड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
6. नन्दा पुत्र बिरदा जाति जाट आयु लगभग 60 साल निवासी ग्राम डीडवाड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
7. रतन पुत्र बिरदा जाति जाट आयु लगभग 60 साल निवासी ग्राम डीडवाड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

प्रार्थीगण

बनाम

1. काना पुत्र नानगा जाति जाट, बालिग निवासी ग्राम डीडवाड़ा तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान
2. बन्ना पुत्र नानगा जाति जाट बालिग निवासी ग्राम डीडवाड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
4. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा किशनगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक, किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज.का.अधि. 1955

निर्णय दिनांक 12/5/2026

नीतू मीणा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री महावीर मालाकार
वकील अप्रार्थी श्री विजय पोषक

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री महावीर मालाकर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज.का.अधि.के तहत पेश कर निवेदन किया प्रार्थीगण के स्वत्व अधिकार, कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि राजस्व ग्राम डीडवाड़ा पटवार हल्का डीडवाड़ा भूअभिनि क्षेत्र बांदरसिंदरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है कि प्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1644/281 रकबा 0.8818 हैक्टेयर, प्रार्थीगण संख्या 03, 04, 05 की खातेदारी भूमि का विवरण इस प्रकार है कि खाता संख्या 820 के खसरा संख्या 1645/281 रकबा 0.8818 हैक्टेयर, प्रार्थीगण संख्या 06 व 07 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 281 रकबा 0.8818 हैक्टेयर है। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा संख्या 1644/281, 1645/281 एवं 281 के लगती हुई दक्षिण दिशा में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम डीडवाड़ा पटवार हल्का डीडवाड़ा भूअभिनि क्षेत्र बांदरसिंदरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित खसरा संख्या 283 क्षेत्रफल 2.7749 हैक्टेयर है तथा उसके आगे रिकोर्डेड रास्ता खसरा संख्या 223 क्षेत्रफल 1.1811 हैक्टेयर किस्म गै.मु.सड़क जो ग्रामीण सड़क स्थित है। उक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि में से उत्तर से दक्षिण दिशा की सींव मेड़ के सहारे होकर ही प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में पहुंच हेतु सरलम, लघुत्तम, निकटतम रास्ता उपलब्ध है जो अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 283 में से होकर उसके लगता हुआ रिकोर्डेड रास्ता खसरा संख्या 223 गै.मु.सड़क को जोड़ता है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 283 में से रास्ते के रूप में प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आते जाते है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 1644/281, 1645/281, 281 के दक्षिण दिशा में लगती हुई अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 283 में से होकर उसके आगे रिकोर्डेड रास्ता खसरा संख्या 223 गै. मु.सड़क है प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त खातेदारी की खसरा संख्या 1644/281, 1645/281, 281 की कृषि भूमि तक पहुंच के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 283 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता मुख्य रिकोर्डेड गै.मु. सड़क खसरा संख्या 223 तक चाहते है। मुख्य गै.मु. सड़क की नक्शा ट्रेस में तरमीम हो रखी है तथा मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग में चला आ रहा है अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 की उक्त भूमि में से उक्त रास्ता प्राप्त होने पर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 की खातेदारी की भूमि में से होते हुये अपने खेत तक आ जा सकते है जो सुगम सुलभ लघुतम रास्ता है। उक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 की खातेदारी की भूमि में से ही प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि में आते जाते रहे है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 3 में वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1644/281,1645/281, 281 में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 283 में से प्राप्त करने वाले रास्ते को इस प्रार्थना पत्र के साथ

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित किया गया है। नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र का एक अंग व भाग माना जाकर इसके साथ पढ़ा जावे। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 3 व 4 में वर्णित रास्ते के लिए अतिरिक्त प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1644/281, 1645/281, 281 में पहुंच के लिए अन्य कोई लघुतम, सरलतम, सुगम मार्ग रास्ता उपलब्ध नहीं है। वर्तमान औद्योगिक युग में कृषि उपकरणों को लाने ले जाने हेतु कम से कम 20 फीट चौड़ा रास्ता होना आवश्यक है। प्रत्येक काश्तकार को अपनी भूमि पर पहुंच के लिए रास्ता होना विधि अनुसार आवश्यक माना गया है तथा उक्त अधिकार प्रत्येक काश्तकार विधि द्वारा उपरोक्त प्रावधान अधीन संरक्षित किया गया है। प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क के तहत किसी भी काश्तकार को अपनी भूमि के आवागमन का रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी पड़ौसी काश्तकारों से रास्ते की मांग कायम करवाने का विद्यायिका द्वारा अधिकार प्रदत्त किया गया है। उक्त अधिकार अन्तर्गत भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वांछित अनुतोष बाबत् अवधारणीय है। अप्रार्थी संख्या 3 भूमिधारी है इस कारण उन्हें अप्रार्थी के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 4 के यहां अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि राहिन दर्ज होने से प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुती में कोई दुर्भावना या दुराशय नहीं है। प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि खसरा संख्या 1644/281, 1645/281, 281 में आने जाने के आवागमन हेतु उपरोक्त पैरा संख्या 3 में वर्णित ही एकमात्र सरल, सुगम, लघुतम सुविधाजनक रास्ता है। प्रार्थीगण उपरोक्त पैरा संख्या 3 में वर्णित रास्ते के बाबत् माननीय न्यायालय जिस प्रकार भी आदेश पारित करना उचित समझती है उक्त समस्त आदेश की पालना हेतु प्रार्थीगण इच्छुक, तत्पर एवं सहमत है। प्रार्थीगण रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने वाली भूमि की माननीय न्यायालय द्वारा निर्गित रास्ते में आयी भूमि की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा जो शुल्क निर्धारित किया गया है उसी अनुसार प्रार्थीगणए अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 के खाते में एवं सरकारी खाते में राशि अदा करने के लिए तैयार व तत्पर एवं सहमत है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 3 में वर्णित एवं प्रार्थना पत्र संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित रास्ते को 20 फीट चौड़ा रास्ता घोषित कर राजस्व रिकार्ड में तरमीम कायम किये जाने के आदेश प्रदान करावे एवं उक्त रास्ता प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 1644/281, 1645/281, 281 तक पहुंच के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि ग्राम डीडवाड़ा में स्थित खसरा संख्या 283 में से होकर रिकोर्डेड रास्ता खसरा संख्या 223 सड़क तक कायम किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 02.06.2025 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण कीतलबी करवाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से वकील श्री विजय पोषक उपस्थित हुये तथा जवाब पेश किया।

3. अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने दुर्भावना से प्रेरित होकर उनके आवागमन हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की कृषि भूमि खसरा नं. 283 के दक्षिण पश्चिम कोने से होता हुआ वर्षो पुराना रास्ता बदस्तुर अवस्थित चला आ रहा है, जिसे अप्रार्थीगण खसरा नं.

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

643/281 के रास्ते से होते हुए अपनी कृषि भूमि खसरा नं. 1644/281, 1645/281 व खसरा नं. 281 में आते–जाते है। प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु वर्षो पुराना उक्त वर्णित वैकल्पिक रास्ता होने के बावजुद प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नं. 283 के मध्य में से नया रास्ता कायम करवाकर अप्रार्थीगण की कृषि भूमि को नष्ट, खुर्द–बुर्द, उपयोग–उपभोग रहित कारित करना चाहते है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वैकल्पिक रास्ता आवागमन हेतु उपलब्ध है तो नया रास्ता कायम नही करवा सकते। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अविधिक होने से निरस्तनीय है। प्रार्थीगण ने जानबूझकर वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में झूठे, गुलत तथ्य मौके व रिकार्ड के विपरीत अपनी कृषि आराजी खसरा नं. 1644/281, 1645/281 एंव खसरा नं. 281 के लगती हुई दक्षिण दिशा में अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 283 के अवस्थित होने के तथ्य अंकित किये है, वास्तविक रूप से मौके एंव रिकार्ड, राजस्व मानचित्र में स्पष्ट रूप से प्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बरान के दक्षिण दिशा में खसरा नं. 1643/281 रास्ता 0.1214 हैक्टेयर का अवस्थित है, इस प्रकार प्रार्थीगण ने वास्तविक तथ्य छिपाते हुए न्यायालय हाजा को गुमराह कर अनुचित लाभ प्राप्ति की नियत से दुर्भावना से प्रेरित होकर उक्त झूठा प्रार्थना पत्र मौके एंव रिकार्ड व राजस्व मानचित्र के विपरीत प्रस्तुत किया है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 के कथन प्रार्थीगण से सम्बन्धित है जिसको प्रार्थीगण अकाट्य प्रमाण से सिद्ध करे, जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 के कथन गलत, झूठे होने तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शें, राजस्व मानचित्र, रिकार्ड के विपरीत वास्तविक तथ्यों को छिपाकर दुर्भावना से प्रेरित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, प्रार्थीगण खसरा संख्या 223 गैर मु. सडक से अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की कृषि भूमि खसरा नं. 283 के दक्षिण पश्चिमी कोने से अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व मानचित्र में दर्शित वर्षो पुराने रास्ते से आवागमन करते हुए आगे खसरा नं. 1643/281 रास्ते से होते हुए अपनी कृषि भूमि में सरलतम, लघुतम, निकटतम रास्ते के रूप में वर्षो से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की पैरा संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि के दक्षिण दिशा में अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की कृषि भूमि अवस्थित नही है बल्कि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि एंव अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की कृषि भूमि खसरा नं 283 के मध्य आम रास्ता खसरा नं. 1643/281 अवस्थित है। इस प्रकार प्रार्थीगण के आवागमन हेतु वर्षो पुराना अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शें में ए से बी के रूप में दर्शित वर्षों पुराना रास्ता आवागमन हेतु बदस्तूर जारी है जिससे आवागमन करते चले आ रहे है, बावजूद इसके प्रार्थीगण दुर्भावनावश गलत, झुठे वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नं. 283 के मध्य से नया रास्ता कायम करवाना चाहते है। जो कृत्य अविधिक है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर नया रास्ता किसी काश्तकार की भूमि के मध्य से नया रास्ता कायम नही किया जा सकता। इसी सूरत में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अविधिक होने से दुर्भावना से प्रेरित होकर प्रस्तुत करने से निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 03,04,05 के कथन गलत, वास्तविक मौके व रिकार्ड की स्थिति अंकित कर देने से अमान्य एंव अस्वीकार है। जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णितानुसार प्रार्थीगण की कृषि भूमि के आवागमन हेतु गै.मु.

नीतू मीना
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

इक खसरा संख्या 223 से अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की कृषि भूमि खसरा संख्या 283 के दक्षिण–पश्चिम दिशा में वर्षो पुराना उपयोग–उपभोग अधीन चला आ रहा है जिसको अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में ए टू बी के रूप में दर्शाया गया है। ए टू वी भाग में अंकित रास्ते से होते हुए प्रार्थीगण आगे खसरा नं. 1643/281 का आम रास्ता जो प्रार्थीगण की कृषि भूमि के दक्षिण दिशा में अवस्थित है से आवागमन करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण ने दुर्भावनावश मौके की व रिकार्ड की वस्तुस्थिति के विपरीत नजरी नक्शा में नया रास्ता कायम करवाने बाबत् अविधिक रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्तनीय है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की सूरत में किसी खसरे के मध्य से नया रास्ता कायम नही किया जा सकता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उक्त वर्णितानुसार अविधिक, दुर्भावना से प्रेरित होकर प्रस्तुत करने से निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 06 व 07 के कथन गलत, झुठे होने से अमान्य एंव अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की कृषि भूमि खसरा संख्या 283 के दक्षिण–पश्चिम दिशा के कोने से अप्रार्थीगण के नजरी नक्शे अनुसार ए टू वी के रूप में सरलतम, लघुतम, सुविधा जनक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नं. 283 के मध्य से भूमि को नष्ट, खुर्द–बुर्द करने की नियत से नया रास्ता कायम करवाने बाबत् प्रस्तुत किया है जो अविधिक होने से निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 08 के कथन कानूनी है जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 09 व 10 के कथन गलत, झूठे होने से अमान्य एंव अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने दुर्भावना व दुराशय से अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 283 के मध्य से भूमि को नष्ट, खुर्द–बुर्द करेन की नियत से उनके पास खसरा नं. 283 की कृषि भूमि दक्षिण–पश्चिम कोने से नजरी नक्शे में ए टू बी के रूप में दर्शित वर्षो पुराना रास्ता आवागमन हेतु सरल, सुगम, लघुतम, सुविधा जनक रूप से उपलब्ध होकर वदस्तुर अवस्थित उपयोग–उपभोग अधीन होने के बावजुद नया रास्ता अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के मध्य से कायम करवाने बाबत् प्रस्तुत किया है जो अविधिक होने से निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र वर्णितानुसार गलत, झूठे, अविधिक होने से अमान्य एंव अस्वीकार है। प्रार्थीगण के आवागमन हेतु वर्षो पुराना उक्त वर्णित वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के कारण प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की कृ पि भूमि खसरा संख्या 283 के मध्य से नया रास्ता कायम करवाने के हकदार ना होने से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्ति के अधिकारी नही होने तथा वास्तविक तथ्य छिपाव के दोषी होने एंव उक्त प्रार्थना पत्र दुर्भावना एंव दुराशय से प्रस्तुत करने से निरस्तनीय है। अतः श्रीमान की सेवा में अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की ओर से मय प्रारम्भिक आपत्तियों के जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय विशेष हर्जे खर्चे के साथ खारिज फरमाने की कृपा करें।

4. तहसीलदार किशनगढ द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया गया कि ग्राम डींडवाडा के खसरा नम्बर 1664/281 वगै० खातेदार द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बंध में प्रस्ताव क्रे क्रम मे विन्दूवार रिपोर्ट निम्नानुसार है कि प्रार्थी को अपनी उपरोक्त भूमि पर आने जाने हेतु वर्तमान मे प्रार्थीगण के खातेदारी मे दर्ज खसरा नम्बर 1643/281 रकवा 0.1214 हैक्टेयर किस्म रास्ता मे से आवागमन कर रहे है जो कि दक्षिण–पश्चिम सीमा पर खसरा नम्बर 283 अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

खातेदारी मे से (नजरी नक्शा अनुसार) होते हुए खसरा नम्बर 902 गै मु सडक पर मिलता है। प्रार्थी वर्तमान मे खसरा नम्बर 283 मे जहा से आवागमन कर रहे है वह वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने के लिये चाहे गया रास्ता खसरा नम्बर 283 के मध्य से होकर खसरा नम्बर 902 पर मिलाने हेतु आवेदन किया गया है। खसरा नम्बर 282 रकबा 0.0566 हैक्टेयर किस्म गे मु चाह जो कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनो के नाम सयुक्त खातेदार मे दर्ज है से प्रार्थीगण द्वारा अपने खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1644/281 हेतु आवागमन हेतु सुलग रास्ता उपलब्ध हो इस लिए खसरा नम्बर 283 के मध्य से रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया है। चाहे गये रास्ते व वर्तमान मे उपलब्ध रास्ते का नजरी नक्शा निम्नुसार है। नवीन प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस मे लाल पत्रावली है। एवं प्रस्तावित रास्ते का रकबा होगा। स्याही से दर्शाया गया है जो सलग्न 390 वर्गमीटर होगा। वर्तमान मे जहा से आवागमन किया जा रहा है उसे पिले रंग से दर्शाया गया है ग्राम डींडवाडा की वर्तमान डी एल सी दर 1163200/—रूपये प्रति हैक्टेयर है जिसके अनुसार प्रस्तावित रास्ते का रकबा 0.0390 हैक्टेयर है एवं डी एल सी की दुगनी दर से राशि 90730/— बनती है।

5. हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शे एवं राजस्व नक्शे से जाहिर है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 1644/281, 1645/281 में आवागमन के लिये खसरा संख्या 223 गै.मु. सडक से खसरा संख्या 283 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा से होते हुये खसरा संख्या 1643/281 तक रास्ता चालू है जो कि वर्तमान में आवागमन हेतु उपयोग में लिया जा रहा है तथा मौके पर रास्ता चालू है। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैकल्पिक रास्ते का अभाव होने तथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होने पर ही रास्ता कायम करने हेतु आदेश जारी किये जा सकतें हैं किन्तु उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तथा प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12/05/2016 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)